FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

कमलेश पुत्री रामकिशोर पत्नि धनराज जाति जाट आयु 30 साल निवासी ग्राम झाडौल तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

रामकिशोर पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम झाडौल तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.1955 — नंबर 07 /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/........

वकील वादीगण भवानी सिंह राठौड — वकील प्रतिवादीगण ....

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.1955 दिनांक 13.01.2022

प्रार्थीया की ओर से वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का.अधि.1955 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक है जिस पर प्रार्थीया संख्या 01 व 02 का हक हिस्सा व अधिकार पैतृकता से है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 उक्त पैतृक भूमि को पूरी तरह खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। हमारे द्वारा वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम झाडौल स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 276 खसरा संख्या 493, 503, 504, 505 कुल किता 04 कुल रकबा 27.5384 हैक्टैयर,खाता संख्या 277 खसरा संख्या 645/501 कुल किता 01 कुल रकबा 3.0014 हैक्टैयर, ,खाता संख्या 275 खसरा संख्या 502 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7605 हैक्टैयर, खाता संख्या 278 खसरा संख्या 548 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से तक बेचान,रहन नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/2/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

28.01.2022 मूल वाद न. 06/2022 में वादीगण की ओर से वकील योगेश शर्मा उप. होकर अर्जेन्ट सुनवाई प्रा.पत्र पेश करने पर पत्रावली आज मियत तिथि से पूर्व पेश हुई। चूंकि उक्त प्रकरण के मूल वाद 06/2022 उनवान कमलेश बनाम रामकिशोर में राजीनामा हो चुका है व वाद खारिज किया जा चुका है। [illegible] अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 का [illegible] न्यायिक औचित्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

आशाजाट
कमलेश जाट
पक्षकार [illegible]
NOT PRESS
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:23:45 IST
Reason: SelfAttested